

शर्त के साथ जारी की जाती है कि वकील प्रार्थीगण समस्त पक्षकारों पर रजिस्टर्ड एडी से सम्मन मय नोटिस व वादपत्र व प्रार्थना पत्र तथा एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश की तामिल की रसीदें 15 दिवस में पेश करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। लिहाजा प्रार्थीया से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामिल की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार एकपक्षीय आदेश का युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर संभव यत्न करें अन्यथा अंतरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। वकील प्रार्थी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा SB Civil Writ Petition No. 15797/2023 में जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करें। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकट कर दी जावेगी।

पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 07.03.2024 को पेश हो।



सहायक वकील (फारस्ट्रेक)
 दौलतराम गुज्जर (सी.बी.ए.)
 दौलतराम गुज्जर


7-3-24

पत्रावली / वकूला
 पी.
 पर
 दिनांक 29.4.24 को पेश हो।

29 ⁴ / 24

पत्रावली पेश। वकील वाली।
 तारीख 29.4.24। अस्थायी सं. 1।
 ता 6 सी तामिल R/2 24

प्राप्त । शाहीत निमेष रहे
 बावजूद सूचना के बावजूद
 रहने के बावजूद एडप्टीय
 कार्यवाही कमल में लक्ष्य
 जाती है वही वही लक्ष्य
 की एडप्टीय कल्प लुनी ।
 वही लक्ष्य के एडप्टीय
 स्वगत मूल वाग के निष्ठाव
 तक पाठित करने का निष्ठा
 किया । अतः मूल वाग के
 निष्ठाव तक स्वगत अथावत
 पाठित किया जाता है प्रत्यक्ष
 फेसल सुमात्र वही नम्बर
 से कम वे, फाथिल वही
 वे । मूल वाग के साथ
 लक्ष्य वे ।


 सहायक कलेक्टर (पोस्ट रीज)
 दौतारामगढ़ (सीकर)

